



email_id : dcourtkh-d-mp@nic.in
Phone No. : 0733-2240001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

-:: परिपत्र ::-

क्रमांक: 20 /को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 04 अक्टूबर, 2020

विषय :- कोविड-19 वैश्विक महामारी से सीमित कार्य व्यवस्था (Limited Virtual Functioning) के अधीन निर्धारित पूरे समय सभी न्यायालयों द्वारा कार्य करने बाबत।

संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर का परिपत्र क्रमांक बी/3817 जबलपुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 के पालन में।

.....000.....

संदर्भित परिपत्र के पालन में जिला न्यायालय खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप-तहसील मांधाता जिला खण्डवा में न्यायालयीन कार्य के संचालन हेतु पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से जारी सभी दिशा-निर्देश, परिपत्र और उसके परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय से जारी सुसंगत परिपत्रों की निरंतरता में आदेशित किया जाता है कि सीमित आभासी कार्य व्यवस्था (Limited Virtual Functioning) के अधीन ही दिनांक 05.10.2020 से दिनांक 10.10.2020 तक म0प्र0 सिविल कोर्ट रूल्स, 1961 के नियम-5 द्वारा निर्धारित समय प्रातः 10.30 बजे से शाम 05.30 बजे तक सभी न्यायालयों के द्वारा न्यायालयीन कार्य का निष्पादन किया जावेगा।

संलग्न :- संदर्भित परिपत्र.

सही

(एल0डी0 बोरासी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)


पृष्ठांक 1449/को.वा./2020

खंडवा, दिनांक 03 अक्टूबर 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग-1 खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 2- कलेक्टर, जिला खण्डवा,
- 3- पुलिस अधीक्षक जिला खंडवा,
- 4- समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा,
- 5- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता,
- 6- प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा।
- 7- सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम खंडवा/सिस्टम असिस्टेंट,
- 8- प्रशासनिक/उप-प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- संदर्भित परिपत्र


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अधुर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

Acct.
R
DAS
03-10-2020

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. B/3817/

Jabalpur, dated 01/10/2020

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the Subordinate Courts including Family Courts in State of M.P. as follows:-

In continuation of Circular No. No.B/3717 dated 26.09.2020, the limited virtual functioning for the High Court from 5th October, 2020 till 9th October, 2020 and for all Subordinate Courts including Family Courts from 5th October, 2020 till 10th October, 2020 is hereby extended, as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020, Circular No. Q-12 dated 4th May 2020, Circular No. B/2655 dated 24.07.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice


(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (DE)